(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
ICR Division

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 30th December, 2024

NOTIFICATION

No. 10-3/2024-U.3(A)- Whereas, Sathyabama Institute of Science and Technology (Deemed to be University), Chennai, Tamil Nadu submitted an online application on the UGC portal for establishment of an off-campus centre at Vadamangalam, Sriperumbudur, Tamil Nadu, as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. **And whereas**, UGC, vide its letter No.40-8/2024 (CPP-I/DU) dated 20.06.2024, informed that the application was examined through Standing Committee constituted by Chairman, UGC. The Committee recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Sathyabama Institute of Science and Technology (Deemed to be University), Chennai with certain conditions.

3. **And whereas**, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 15.07.2024 to Sathyabama Institute of Science and Technology (Deemed to be University), Chennai for fulfilment of the following conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Vadamangalam, Sriperumbudur, Tamil Nadu:

i. The deemed to be University shall submit details of Corpus fund of Rs.25 Crore.
ii. It should create additional necessary infrastructure such as classrooms, labs, computers, etc. to run PG, PG and Research Programmes.
iii. Recruitment of teachers and detail list of faculty members with their names, qualifications, designations, etc. to be submitted.
iv. Number of post-graduate or research students should be at least one fifth of the total number of students i.e. total number of under-graduate, post-graduate and research students.
v. No admission shall be done at the proposed off-campus centre without fulfilling the above conditions and final approval thereafter of this Ministry.

4. **And further whereas**, the Registrar, Sathyabama Institute of Science and Technology (Deemed to be University), Chennai, vide letter dated 06.08.2024, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and further advice. UGC, vide its letter dated 25.11.2024, informed that the compliance report was examined by the Standing Committee and was accepted by them.

5. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Sathyabama Institute of Science and Technology (Deemed to be University), Chennai to start an off-campus Centre at Vadamangalam, Sriperumbudur, Tamil Nadu.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules, Regulations, directions of Central Government, UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered to by Sathyabama Institute of Science and Technology (Deemed to be University), Chennai.

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Registrar, Sathyabama Institute of Science and Technology (Deemed to be University), Chennai.
3. The Secretary, Department of Technical & Higher Education, Government of Chennai, Tamil Nadu.
4. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
5. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
7. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
8. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Telephone No. 23381578

(भारत के राजपत्र भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार/भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय/शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग/उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 30 दिसंबर, 2024

अधिसूचना

संख्या 10-3/2024-यू.3(ए)- जबकि, सत्यभामा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई, तमिलनाडु ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार, वडामंगलम, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में एक ऑफ-कैंपस केंद्र की स्थापना के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था।

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 20.06.2024 के अपने पत्र संख्या 40-8/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा गठित स्थायी समिति के माध्यम से की गई। समिति ने कुछ शर्तों के साथ सत्यभामा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की।

3. और जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, सत्यभामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई को वडामंगलम, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए दिनांक 15.07.2024 का आशय पत्र (एलओआई) जारी किया:

i. सम विश्वविद्यालय को 25 करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा।
ii. उसे पीजी, पीजी और शोध कार्यक्रम चलाने के लिए कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर आदि जैसे अतिरिक्त आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा।
iii. शिक्षकों की भर्ती और संकाय सदस्यों की विस्तृत सूची उनके नाम, योग्यता, पदनाम आदि के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
iv. स्नातकोत्तर या शोध छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या अर्थात स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध छात्रों की कुल संख्या का कम से कम पांचवां हिस्सा होनी चाहिए।
v. उपरोक्त शर्तों को पूरा किए बिना तथा उसके बाद इस मंत्रालय के अंतिम अनुमोदन के बिना प्रस्तावित ऑफ-कैंपस केंद्र में कोई भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

4. और आगे, जबकि, रजिस्ट्रार, सत्यभामा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई ने दिनांक 06.08.2024 के पत्र के माध्यम से, आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और आगे की सलाह के लिए यूजीसी को भेज दिया गया।

यूजीसी ने दिनांक 25.11.2024 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट की स्थायी समिति द्वारा जांच की गई और उनके द्वारा स्वीकार कर ली गई।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतद द्वारा सत्यभामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई को वडामंगलम, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने का अनुमोदन देता है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, निदेशों का सत्यभामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।

पूर्कि बनर्जी

(पूर्णेंदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. रजिस्ट्रार, सत्यभामा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई।
3. सचिव, तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, चेन्नई सरकार, तमिलनाडु।
4. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070।
5. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2।
7. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस यूनिट को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर अधिसूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए।
8. गार्ड फ़ाइल / अधिसूचना फ़ाइल.

रंजन

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. 23381578